संख्या-12/2020/429जेड/**6**-सा-**3-20-50**जी/**2017**टी.सी.

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-**3** लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, **2020**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-**1222/**छः-स्व**0**से**0/2020-10 (**अधि**0)/18,** दिनांक **19.06.2020** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू**0 50,000/- (**रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बी**0**एम**0-9** प्रपत्र के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः

(1) जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि केा सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष **2010-21** तक कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक **31.03.2021** तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ**0**प्र**0** बजट मैनुअल के प्रस्तर-**150, 151** व **154** में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** आय-व्ययक के अनुदान संख्या-**28** के लेखाशीर्षक-**2251-**सचिवालय सामाजिक सेवायें-**092-**अन्य कार्यालय-**03** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मद संख्या-**01-**वेतन में होने वाली बचतों से अनुदान संख्या-**28** लेखाशीर्षक-**2251-**सचिवालय सामाजिक सेवायें-**092-**अन्य कार्यालय-**03** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मद संख्या-**15-**गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(सूर्य कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-12/2020/**429(1)**जेड/**6-**सा-**3-20**जी/**2017**टी**0**सी**0,** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**, उत्तर प्रदेश शासन। (तीन प्रतियों में)

5-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-09(**भाग-**1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(**बजट मैनुअल का प्रस्तर-**158)

अनुदान संख्या व नामः 28, **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग**, **लखनऊ**, उ0प्र0

वित्तीय वर्षः 2020-21

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक (**15** डिजिट कोड में) आयोजनेतर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (**2-5)**
1	2	3	4	5	6
2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-**092-**अन्य कार्यालय-**03** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मद संख्या-**01-**वेतन	80.45	74.8540	70.00	0.50	79.95
योग-	80.45	74.8540	70.00	0.50	79.95

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक (**15** डिजिट कोड में) आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (**9-8)**	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-**28** लेखाशीर्षक-**2251-** सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेतर-**092-**अन्य कार्यालय-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के मद संख्या-**15-** गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	**0.10**	0.80	0.70	0.50	0.60

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्तम्भ-**3** में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष में बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-**8** में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-**9** में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः- निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग, लखनऊ के शासकीय वाहन में डीजल व्यय का भुगतान किया जाना है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ**0**प्र**0** बजट मैनुअल के प्रस्तर-**150** व **151** में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-आर ई-**018/**ई-**12-1203,** दिनांक 07 जुलाई, **2020**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रथम,

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(सूर्य कुमार)
संयुक्त सचिव।
राजनैतिक पेंशन अनुभाग-**3**

(राजीव कुमार वत्स)
अनु सचिव।
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-12/2020/429(2)जेड/**6-**सा-**3-20**जी/**2017**टी**0**सी**0**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1,** उत्तर प्रदेश शासन। (तीन प्रतियों में)
6-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।